

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या: 95/2019

दायर दिनांक:- 05.07.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00189

उन्वान

सुरेश पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन सिटी हाल
निवासी हिण्डौन जिला करौली राज0

प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0

अप्रार्थीगण-03

प्रार्थना पत्र बाबत धारा 151

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 151 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 05.07.2019 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है एवं प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 95/2019 सुरेश बनाम सरकार जरिये जिला कलक्टर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन